न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 13/23 (अपील)

GCMS No. : 2023/472

अनवान्

1. श्री दल्ला पिता वाला डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा तहसील मावली।
2. श्री वकतराम पिता वाला डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा तहसील मावली।
3. श्री पोकर पिता वाला डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा तहसील मावली।
4. श्री चुन्नीलाल पिता वाला डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा तहसील मावली।

.............अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तहसील मावली।
3. श्री मांगीलाल पिता गणेश डांगी निवासी गुडली तहसील मावली।
4. श्रीमती देउबाई बेवा गणेश डांगी निवासी गुडली तहसील मावली।
5. श्रीमती देउबाई पत्नी रूपा पुत्री वाला डांगी निवासी गोवला हाल गुडली तहसील मावली।
6. श्री दुर्गेश पिता बाबुलाल डांगी निवासी गोवला हाल गुडली तहसील मावली।
7. श्री अशोक पिता बाबुलाल डांगी निवासी गोवला हाल गुडली तहसील मावली।
8. देउ पिता वाला डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा तहसील मावली।

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. राजपेरोकार मावली, रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 2
3. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4
4. श्री सुरेश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7
5. श्री नाथूलाल गर्ग, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. गुडली, बाबत ना. सं. 569 दि. 17.11.1986

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 09.01.2025

1. अपीलाण्टस् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत गुडली बाबत नामान्तरण संख्या 569 दिनांक 17.11.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के सं[illegible]रण निम्न प्रकार है कि मौजा गुडली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

में आराजी नम्बर 2247, 2527, 2530, 2531, 2252, 2253, 2268, 2269 किता 8 है तथा मौजा बेमाला पटवार हल्का गुडली में आराजी नम्बर 3821, 3826 किता 2 कुल रकबा 0.1133 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो रेस्पोडेन्ट्सगणों के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज हैं। सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2030 के अनुसार गांव गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली में आराजी नम्बर 1149, 1369, 1370, 1371 से 1377, 2228, 2229, 2231, 2232, 2233, 2234, 2238, 2239, 2243, 2244, 2245, 2246, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2267 किता 29 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी जो उंकार पिता लखा 1/3 हिस्सा व वाला पिता हरजी 1/3 हिस्से से दर्ज थी।

2. यह कि **अ**—सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2030 के अनुसार गांव गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली में आराजी नम्बर 2247, 2252, 2253, 2268, 2269, 2527, 2530, 2531, 3821, 3826 किता 10 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा स्थित थी जो कि वाला पिता हरजी डांगी सह देह मोतीखेडा के नाम पर सम्पूर्ण हिस्से से दर्ज थी। **ब**—ग्राम गुडली की निर्वाचन नामावली सन् 1988 के भाग संख्या 4 में ग्राम बेमाला/मोतीखेडा के क्रम संख्या 1022 पर वाला पिता हरजी उम्र 72 वर्ष का अंकन है, इसी तरह निर्वाचन नामावली वर्ष 1986 के ग्राम गुडली में भाग संख्या 4 के क्रम संख्या 53 पर वाला पिता हरजी उम्र 70 वर्ष अंकित है, उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाला पिता हरजी उम्र 70 वर्ष निवासी गुडली एवं वाला पिता हरजी उम्र 72 वर्ष निवासी बेमाला दोनो ही अलग—अलग व्यक्ति हैं।

3. यह कि मुझ अपीलार्थी के पिता वाला पिता हरजी निवासी बेमाला, मोतीखेडा का सजरा खानदान इस प्रकार है :—

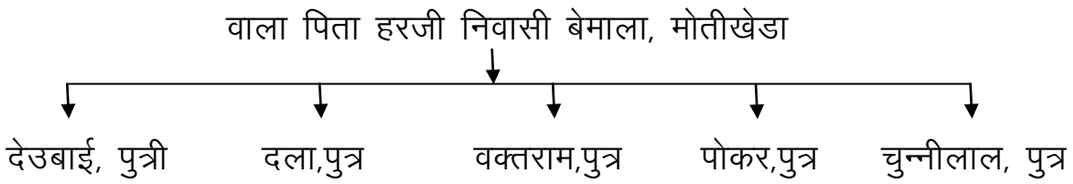

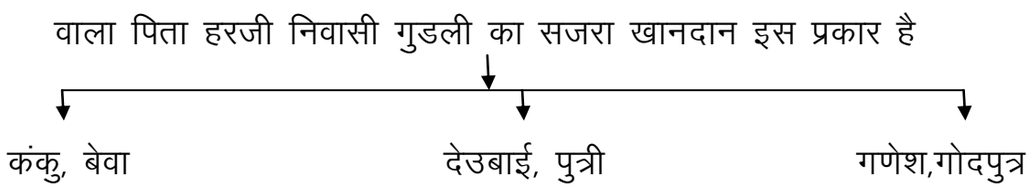

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात सम्वत् 2043 से पूर्व सम्वत् 2038 से 2041 तक वाद के अ में वर्णित आराजीयात भाग ब में वर्णित आराजीयात के साथ सम्पूर्ण खाते से वाला पिता हरजी डांगी निवासी मोतीखेडा के नाम पर दर्ज थी, उक्त जमीन के रकबा 10 थे, जो रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा थी तथा सेटलमेन्ट से पूर्व अ में वर्णित आराजीयात के खातेदार वाला पिता हरजी डांगी निवासी मोतीखेडा ही थे, उक्त जमीन पर वाला के जीवनकाल से ही हम अपीलार्थीगण कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 तक की जमाबन्दी में भी वाला पिता हरजी निवासी मोतीखेडा के नाम पर ब में वर्णित आराजीयात सम्पूर्ण हिस्से से दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट के पिता वाला पिता हरजी की मृत्यु वर्ष 1986 में हो चुकी थी, जिसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट द्वारा खुलवाया गया है परन्तु रेस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करते हुए जरिये नामान्तरकरण संख्या 569 से परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात में इसी नामान्तरकरण से अपना नाम दर्ज करवाते हुए हमारे पिता वाला के नाम दर्ज जमीन जो कि वाद में वर्णित है उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में अपना नाम वाला पिता हरजी निवासी गुडली के नामान्तरण संख्या 569 से दर्ज करवा दिया जबकि वाला पिता हरजी निवासी मोतीखेडा जो कि हमारे पिता जी थे उनकी मृत्यु वर्ष 1998 में हुई, नकल जमाबन्दी में वाला पिता हरजी निवासी मोतीखेडा की विरासत का नामान्तरकरण जरिये नामान्तरकरण संख्या 1231 से हम अपीलार्थीगणों के नाम पर अन्य आराजीयात दर्ज हुई, केवल मात्र परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात जो वाला पिता हरजी मोतीखेडा के नाम पर दर्ज थी वो आराजीयात उपरोक्त विपक्षीगणों ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर सम्पूर्ण जमीन उनके नाम पर दर्ज करवा दी।

5. यह कि वाला पिता हरजी निवासी मोतीखेडा की विरासत से जरिये नामान्तरकरण संख्या 1231 से दर्ज हुआ, हम प्रार्थीगणों के नाम पर दर्ज हुआ था तथा वाला पिता हरजी जिनके आराजी नम्बर 1149 एवं 1369 से 1377 तक व अन्य आराजीयात में विपक्षीगणो का नाम विरासत के नामान्तरकरण संख्या 569 से दर्ज हुआ। पूर्व के सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वाला पिता हरजी दो व्यक्ति होने की वजह से जमाबन्दी में विवाद उत्पन्न न हो इस कारण हम अपीलार्थीगण के पिता जी का नाम जमाबन्दीयों में वाला पिता हरजी लिखा किया तथा विपक्षीगणों के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

का नाम वाला पिता मोती अंकित किया जिससे दोनो व्यक्तियो के मध्य विवाद उत्पन्न न हो। परन्तु विपक्षीगणो ने जानबुझकर वाला पिता हरजी समान नाम का नाजायज फायदा उठाते हुए अपना नाम वाला पिता हरजी मोतीखेडा के खाते में उक्त गलत नामान्तरकरण से दर्ज करवा दिया जो खारिज होने योग्य हैं। पूर्व में उक्त भूमि राजस्व ग्राम गुडली में स्थित थी, कुछ समय बाद राजस्व ग्राम गुडली का सीमांकन हुआ तथा गुडली का एक अलग से गांव मोतीखेडा बना हुआ जो जमीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2030 के अनुसार वाला पिता हरजी मोतीखेडा के नाम पर जो जमीन थी, उसमें से 2247, 2252, 2253, 2268, 2269, 2527, 2530, 2531 ग्राम गुडली में दर्ज, जिस कारण भी पटवारी पटवार हल्का द्वारा सम्पूर्ण जमीन को वाला पिता हरजी गुडली की मान कर वाला पिता हरजी मोतीखेडा की जगह वाला पिता हरजी गुडली का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया।

6. यह कि हम अपीलार्थीगण ने गांव गुडली में स्थित आराजी नम्बर 2247, 2252, 2253, 2268, 2269, 2527, 2530, 2531 पर कृषि विकास हेतु लोन लेने के कारण जमाबन्दीयां निकलवाई तो पता चला कि उक्त जमीन गलत तरीके से विपक्षीगणों के नाम पर दर्ज हो गई है, जिस पर मैने निांक 13.10.2023 को नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी की नकल निकलवाई, अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी जानकारी लेकर रूपयो पैसो की व्यवस्था कर उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं।
7. यह कि दिनांक 17.11.1986 को खोला गया नामान्तरकरण मेरे हितो के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। हमे गलत नामान्तरकरण की जानकारी मिलते ही हमारे द्वारा अपील अन्दर अवधि आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही हैं।
8. अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त नामान्तरकरण अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 17.11.1986 को ग्राम पंचायत गुडली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 569 को खारिज फरमाया जावे व उसके बाद हुए पश्चात्वृति नामान्तरकरण जो उक्त नामान्तरकरण के बाद हुए है जिनको शुन्य घोषित फरमाया जावें।
9. **धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर निवेदन** किया कि हम अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने गांव गुडली में स्थित आराजी नम्बर 2247, 2252, 2253, 2268, 2269, 2527, 2530, 2531 पर कृषि विकास हेतु लोन लेने के कारण जमाबन्दीयां निकलवाई तो पता चला कि उक्त जमीन गलत तरीके से विपक्षीगणों के नाम पर दर्ज हो गई है, जिस पर मैने निांक 13.10.2023 को नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

एवं जमाबन्दी की नकल निकलवाई, अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी जानकारी लेकर रूपयो पैसों की व्यवस्था कर उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। हम प्रार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर देरी नहीं की गई है, इससे पूर्व हम प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। यह कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी उपरोक्त कारणों से क्षमा योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करते हुए अपील को निस्तारित फरमाया जावें।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट सं. 8 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गुडली में आराजी नम्बर 2247, 2527, 2530, 2531, 2252, 2253, 2268, 2269 किता 8 है तथा ग्राम बेमाला पटवार हल्का गुडली में आराजी नम्बर 3821, 3826 किता 2 कुल रकबा 0.1133 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो रेस्पोडेन्टगणों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज होना स्वीकार हैं। अपील की कलम संख्या 3 अ सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2030 के अनुसार गांव गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली में आराजी नम्बर 1149, 1369, 1370, 1371 से 1377, 2228, 2229, 2231, 2232, 2233, 2234, 2238, 2239, 2243, 2244, 2245, 2246, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2267 किता 29 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी जो उंकार पिता लखा 1/3 हिस्सा व वाला पिता हरजी 1/3 हिस्से से दर्ज होना स्वीकार।

11. यह कि अपील की कलम संख्या 4 में सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2030 के अनुसार गांव गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली में आराजी नम्बर 2247, 2252, 2253, 2268, 2269, 2527, 2530, 2531, 3821, 3826 किता 10 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा स्थित थी जो कि वाला पिता हरजी डांगी सह देह मोती खेडा के नाम पर सम्पूर्ण हिस्से से दर्ज थी सम्पूर्ण तथ्य एवं वास्तविक अंकित किये गये है जो पूर्णतया स्वीकार हैं। अपील में ग्राम गुडली की निर्वाचन नामावली सन् 1988 के भाग संख्या 4 में ग्राम बेमाला/मोतीखेडा के क्रम संख्या 1022 पर वाला पिता हरजी उम्र 72 वर्ष का अंकन है, इसी तरह निर्वाचन नामावली वर्ष 1986 के ग्राम गुडली में भाग संख्या 4 के क्रम संख्या [illegible] पर वाला पिता हरजी उम्र 70 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

अंकित है, उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाला पिता हरजी उम्र 70 वर्ष निवासी गुडली एवं वाला पिता हरजी उम्र 72 वर्ष निवासी बेमाला दोनो ही अलग–अलग व्यक्ति हैं।

12. यह कि अपील में वर्णित आराजीयात सम्वत् 2043 से पूर्व सम्वत् 2038 से 2041 तक ब में वर्णित आराजीयात के साथ सम्पूर्ण खाते से वाला पिता हरजी डांगी निवासी मोतीखेडा के नाम पर दर्ज थी, उक्त जमीन के रकबा 10 थे, जो रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा थी तथा सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार वाला पिता हरजी डांगी निवासी मोतीखेडा ही थे, उक्त जमीन पर वाला के जीवनकाल से ही हम अपीलार्थीगण कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 तक की जमाबन्दी में भी वाला पिता हरजी निवासी मोतीखेडा के नाम भाग ब में वर्णित आराजीयात सम्पूर्ण हिस्से से दर्ज थी जो पूर्णतया स्वीकार हैं। रेस्पोडेन्ट के पिता वाला पिता हरजी की मृत्यु वर्ष 1986 में हो चुकी थी, जिसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट द्वारा खुलवाया गया है परन्तु रेस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करते हुए जरिये नामान्तरकरण संख्या 569 परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात में इसी नामान्तरकरण से अपना नाम दर्ज करवाते हुए हमारे पिता वाला के नाम दर्ज जमीन जो कि अपील में वर्णित है उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में अपना नाम वाला पिता हरजी निवासी गुडली के नामान्तरकरण संख्या 569 से दर्ज करवा दिया जबकि वाला पिता हरजी निवासी मोतीखेडा जो कि हमारे पिता जी थे उनकी मृत्यु वर्ष 1998 में हुई, नकल जमाबन्दी में वाला पिता हरजी निवासी मोतीखेडा की विरासत का नामान्तरकरण जरिये नामान्तरकरण संख्या 1231 से हम अपीलार्थीगणों के नाम पर अन्य आराजीयात दर्ज हुई, केवल मात्र परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात जो वाला पिता हरजी मोतीखेडा के नाम पर दर्ज थी वो आराजीयात उपरोक्त विपक्षीगणों ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर सम्पूर्ण जमीन उनके नाम पर दर्ज करवा जो सही हैं।

13. यहकि वाला पिता हरजी निवासी मोतीखेडा की विरासत से जरिये नामानतरकरण संख्या 1231 से दर्ज हुआ, हम प्रार्थीगणों के नाम पर दर्ज हुआ था तथा वाला पिता हरजी जिनके आराजी नम्बर 1149 एवं 1369 से 1377 तक व अन्य आराजीयात में विपक्षीगणों के नामान्तरकरण संख्या 569 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हुआ। पूर्व के सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वाला पिता हरजी दो व्यक्ति होने की वजह से जमाबन्दी में विवाद उत्पन्न न हो इस कारण अपीलार्थीगण के पिता जी का नाम जमाबन्दीयों में वाला पिता हरजी मोतीखेडा अंकित किया तथा विपक्षीगणों के पिता का नाम वाला पिता मोती अंकित किया जिससे दोनो व्यक्तियों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो परन्तु विपक्षीगणों ने जानबुझकर वाला पिता हरजी समान नाम का नाजायज फायदा उठाते हुए अपना नाम वाला पिता हरजी मोतीखेडा के खाते में उक्त गलत नामान्तरकरण से दर्ज करवा दिया जो खारिज होने योग्य हैं।

14. यह कि उक्त भूमि राजस्व ग्राम गुडली मे स्थित थी, कुछ समय बाद राजस्व ग्राम गुडली का सीमांकन हुआ तथा गुडली का एक अलग से गांव मोतीखेडा बना जो जमीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2030 के अनुसार वाला पिता हरजी मोतीखेडा के नाम पर जो जमीन थी, उसमें से 2247, 2252, 2253, 2268, 2269, 2527, 2530, 2531 ग्राम गुडली में दर्ज हुई, जिस कारण भी पटवारी पटवार हल्का द्वारा सम्पूर्ण जमीन को वाला पिता हरजी गुडली की मान कर वाला पिता हरजी मोतीखेडा की जगह वाला पिता हरजी गुडली का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो स्वीकार हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का इकबाली जवाब स्वीकार फरमाया जाकर रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निस्तारित फरमाई जावें।

15. **रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. का** पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की एक अपील अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत गुडली द्वारा दिनांक 17.11.1986 को पारित किये गये नामान्तरकरण संख्या 569 के विरूद्व आप न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो कि विचाराधीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 569 पारित किया गया उसमें अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं रहे थे जिससे अपीलार्थीगण को उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार धारा 96 जाब्ता दिवानी के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति या इजाजत माननीय न्यायालय से प्राप्त की जानी चाहिए थी लेकिन अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से अनुमति या इजाजत हेतु धारा 96 जा.दी. के तहत् कोई आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जबकि ऐसे मामले में यह आज्ञप्ति बाधित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

16. यह कि अपीलार्थीगण की ओर से उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु धारा 96 जाब्ता दिवानी के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति/इजाजत नहीं ली गई है और उक्त आज्ञापक प्रावधान की अवहेलना कर नजरन्दाज किये जाने के परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण की हस्तगत अपील प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज होने योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

17. **रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का जवाब पेश कर** निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस तथ्य का उल्लेख करना कि उन्हे कृषि विकास हेतु लोन लेने के कारण जमाबन्दी निकलवाने उक्त नामान्तरकरण के पारित होने की जानकारी हुई, यह तथ्य अपने आपमें हास्यपद होकर गलत है क्योंकि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में इस अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध अपीलार्थीगण की ओर से न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय मावली में रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय में प्रकरण संख्या 95 सन् 2018 वाद पर पंजीबद्व होकर विचाराधीन रहा था तथा उक्त वाद को वादीगण/अपीलार्थीगण स्वयं ने विड्रो का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 25.10.2023 को विड्रो कर दिया। ऐसी अवस्था में अपीलार्थीगण की इस बात को माना जाना सम्भव नहीं है कि दिनांक 13.10.2023 को नामान्तरकरण की जानकारी हुई है। अपीलार्थीगण को शुरू से ही इस नामान्तरकरण के पारित होने की जानकारी रही थी और अपीलार्थीगण इसी नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि सम्बन्ध में दावा किया और इस नामान्तरकरण के जरिये उक्त भूमि हमारे (रेस्पोडेन्ट) नाम पर अंकित हुई उसका भी स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण ने वर्ष 2018 में प्रस्तुत किये गये दावे में उल्लेख किया था। इस प्रकार यह प्रमाणित तथ्य है कि वर्ष 2018 में ही अपीलार्थीगण को इस अपीलाधीन नामान्तरकरण की खुले रूप से जानकारी हो गई थी फिर भी अपीलार्थीगण उस वक्त इस बाबत् कोई चाराजोही नहीं की। अब रेस्पोडेन्ट्स को नाजायज तरीके से तंग प्रताडित करने के मकसद से अपील को मयाद में लाने की नियत से इस तरह के मनगढन्त एवं मिथ्या [illegible] मिथ्या व झूठी अपील न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

आपमें प्रस्तुत कर दी है जबकि अपीलार्थीगण की अपील मियाद बाहर होकर इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं।

18. यह कि अपीलार्थीगण को शुरू से एवं वर्ष 2018 से खुले रूप से इस अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी रही है और अपीलार्थीगण ने उनके द्वारा आप न्यायालय में प्रस्तुत किये गये वाद संख्या 95/2018 में भी उक्त नामान्तरकरण में प्रकट रूप से जिक्र करते हुए इससे उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम पर हो जाने के तथ्य को स्वीकार किया था। ऐसी अवस्था में अब अपीलार्थीगण द्वारा इस प्रकार के कथन करना कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में हमको कोई जानकारी नही थी अथवा अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर देरी नहीं की गई है, सरासर गलत एवं बेबुनियाद है और अपीलार्थीगण ने उक्त मिथ्या कथन केवल मात्र उक्त अपील को अन्दर मियाद शुमार कराने की नियत से अंकित किये है, जबकि ऐसे मिथ्या एवं भ्रामक कथनों से अपीलार्थीगण को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है और जो पक्षकार न्यायालय में तथ्यों को छूपाकर आते है उन्हे न्यायालय भी किसी प्रकार की मदद नहीं करती हैं।

19. यहकि अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई ठोस या पर्याप्त कथन देरी को क्षमा करने योग्य अंकित नहीं किया है जबकि ऐसे मामलों में अनुपस्थिति के एक एक दिन की जानकारी का अंकन किया जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय में अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 2018 में अपीलार्थीगण स्वयं ने रेवेन्यु मुकदमा किया था जिसमें अपीलाधीन नामान्तरकरण का स्पष्ट रूप से वर्णन किया था जिससे अपीलार्थीगण इस नामान्तरकरण से स्पष्टतः अवगत हो चुके थे तथा वर्ष 2018 से ही उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को खुले रूप से है फिर भी जानबुझकर इस तरह के झूठे कथन अंकित करते हुए यह आवेदन न्यायालय आपमें कर दिया हैं। अपीलार्थीगण ने विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण अपने प्रार्थना पत्र अथवा धारा 5 में नहीं लिखा है इसलिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ नहीं ले सकते हैं।

20. यहकि अपीलार्थीगण की अपील मयाद बाहर होकर इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है क्योंकि अपीलार्थीगण ने जानबुझकर काफी देरी से यह अपील मात्र हम रेस्पोडेन्ट से नाजायज लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से [illegible] है। [illegible] का भी यह प्रतिपादित सिद्वान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

है कि जो व्यक्ति सोता है वह खोता है और देरी न्याय में बाधक है। अतः उपरोक्त अपील खारिज होने योग्य हैं।

21. अपीलार्थीगण की उक्त अपील झूठे व मिथ्या कथनों पर आधारित है और अपीलार्थीगण ने न्यायालय में सही स्थिति प्रकट करने की चेष्टा नहीं की है ऐसी अवस्था में अपीलार्थीगण किसी प्रकार से राहत या दाद माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण ने न्यायालय को गुमराह कर रेस्पोडेन्ट्स को नाजायज रूप से तंग परेशान करने की नियत से उक्त अपील पेश की है और न्यायालय के बहुमूल्य समय को जाया किया है इसलिए अपीलार्थीगण की अपील भारी हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाई जावे ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति झूठे तथ्यों एवं मनमकसूद कथनों के आधार पर न्यायालय में ऐसे प्रकरण नहीं लगावे और न्यायालय के कीमती समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करें। अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त अपील मय प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

22. **प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई।** तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा एवं वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली दोनो ही अलग–अलग व्यक्ति थे जिनके वारिसान निम्नानुसार है :–

वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा

दल्ला,पुत्र वकतराम,पुत्र पोकरलाल,पुत्र चुन्नीलाल,पुत्र देउबाई,पुत्री सवाबाई,पत्नी,फौत

(ग्राम पंचायत तुलसीदास जी की सराय द्वारा प्रमाणित सजरा संलग्न है)

वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली

देउबाई, पुत्री कंकुबाई, पत्नी, फौत पुत्र नहीं

जमाबन्दी सम्वत् 2030 के अनुसार मौजा गुडली के आराजी नम्बर 2247, 2252, 2253, 2268, 2269, 2527, 2530, 2531, 3821, 3826 किता 10 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम गुडली के नामान्तरकरण संख्या 569 दर्ज दिनांक 07.11.1986 को वाला पिता हरजी डांगी निवासी मोतीखेडा के नाम दर्ज थी जबकि वाला पिता हरजी डांगी निवासी मोतीखेडा की मृत्यु दिनांक 15.11.1997 को हुई थी। (मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाण पत्र, ग्राम गुडली नामान्तरकरण 569 की प्रति, ग्राम गुडली जमाबन्दी सम्वत् 2043–2046 के खाता संख्या 145 जिसमें नामान्तरकरण संख्या 569 का अमल दरामद किया गया कि प्रमाणित प्रति संलग्न हैं)

ग्राम गुडली जमाबन्दी सम्वत् 2030 के आराजी नम्बर 2247, 2252, 2253, 2268, 2269, 2527, 2530, 2531 पर वर्तमान में मौके पर देऊ पिता वाला, मांगीलाल पिता गणेश, अशोक पिता बाबुलाल, दुर्गेश पिता बाबुलाल डांगी (वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली का परिवार) अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा आराजी नम्बर 3821, 3826 किता 2 कुल रकबा 0.1133 हेक्टेयर भूमि पर दल्ला, वक्तराम, पोकरलाल, चुन्नीलाल, देऊबाई पिता वाला डांगी निवासी मोतीखेडा काबिज होकर मकान बाडा निर्मित हैं।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट मय भू–अभिलेख निरीक्षक डबोक मौका पर्चा रिपोर्ट संलग्न की गई।

23. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी., प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम एवं अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2018 (1) Page 186, RRD 1994 Page 606, RRD 1994 Page 604, RRD 2014 Page 252-54, RRT 2023 (2) Page 1241 पेश किये। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2014 (1) Page 154, RRT 2018 (2) Page 879, RRT 2018 Page 1113 पेश किये।

24. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय हाजा से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी चाहिए थी। न्यायालय का अभिमत है कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुती मुख्य रूप से यह कथन करते हुए पेश की गई है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित करते समय वादित व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

विरासत का नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा जीवित व्यक्ति की भूमि में नामान्तरकरण पारित किया गया है या नहीं, उक्त तथ्य को सुना जाना आवश्यक हैं। इसलिए प्रारम्भिक स्तर पर अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं पाये जाने से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का खारिज योग्य पाया जाता हैं।

नामान्तरकरण सं. 569 दिनांक 17.11.1986 को ग्राम पंचायत गुडली द्वारा पारित किया गया है। जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट् को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है। ना ही अपीलान्ट्स के मौरूस को सुना गया तथा ना ही अपीलान्ट्स के मौरूस को सूचना दी गई। इस कारण से अपीलान्ट्स व अपीलान्ट्स के मौरूस को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट्स का यह कथन माने जाने योग्य है। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

अपीलान्ट्स का कथन है कि ग्राम गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की आराजी नम्बर 1149, 1369, 1370, 1371 से 1377, 2228, 2229, 2231, 2232, 2233, 2234, 2238, 2239, 2243, 2244, 2245, 2246, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2267 किता 29 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि उंकार पिता लखा 1/3 हिस्सा व वाला पिता हरजी 1/3 हिस्से से दर्ज थी। इसी प्रकार आराजी नम्बर 2247, 2252, 2253, 2268, 2269, 2527, 2530, 2531, 3821, 3826 किता 10 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाला पिता हरजी डांगी मोतीखेडा के नाम दर्ज थी। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट्स के कथनानुसार एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला मोतीखेडा एवं वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली दोनो अलग–अलग व्यक्ति थे। वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण संख्या 569 दर्ज दिनांक 07.11.1986 स्वीकृत दिनांक 17.11.1986 पारित किया गया जिसमें वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज भूमि का भी विरासत के आधार पर वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई जबकि तहसीलदार मावली की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज अनुसार वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला मोतीखेडा की मृत्यु दिनांक 15.11.1997 को होना जाहिर आया हैं। वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला मोतीखेडा एवं वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली एक ही व्यक्ति है या पृथक–पृथक व्यक्ति है के तथ्य के सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 द्वारा किसी प्रकार का कोई विचार व्यक्त नहीं किया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 द्वारा भी भली भांति जानते है कि उपरोक्त दोनो नाम के व्यक्ति अलग–अलग हैं। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 से 7 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत हैं कि दो एक ही नाम के व्यक्तियों की भूमि एक गांव में हो सकती हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त दोनो व्यक्तियों की भूमि में विरासत का नामान्तरकरण पारित करना राजस्व कर्मचारी एवं अधीनस्थ न्यायालय की गम्भीर भूल हैं। चूंकि नामान्तरकरण 1986 में पारित किया गया परन्तु काश्तकार राजस्व रेकार्ड से अनभिज्ञ रहता हैं वह केवल मात्र मौके पर अपना कब्जा काश्त करता रहता हैं। इस प्रकरण में भी दिनांक 07.11.1986 को वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला मोतीखेडा की मृत्यु ही नहीं हुई है तो उसके नाम दर्ज भूमि का विरासत का नामान्तरकरण कैसे पारित किया जा सकता हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्कालीन समय में जीवित व्यक्ति की भूमि में विरासत का नामान्तरकरण पारित कर अन्य लोगो के नाम दर्ज कर दी गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा एवं वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली एक ही व्यक्ति है या पृथक–पृथक व्यक्ति है उक्त बिन्दु को तय करते हुए नामान्तकरण पारित करना चाहिए था जिससे उक्त गम्भीर भूल/त्रुटि नहीं होती क्योंकि राजस्व रेकार्ड में दोनो नामों के आगे पृथक–पृथक निवास स्थान का अंकन था। ग्राम पंचायत द्वारा की गई त्रुटि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट्गण द्वारा किसी प्रकार का कोई काउन्टर नहीं किया हैं केवल मात्र प्रकरण में अपीलान्ट्स की विधिक त्रुटियों को ही काउन्टर कर अपील [illegible] करने का निवेदन किया गया, जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्टगण को भी भली भांति ज्ञान है कि वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला, मोतीखेडा एवं वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली दोनो अलग–अलग व्यक्ति हैं एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण विधि विरूद्व हैं।

यहां न्यायिक दृष्टान्त RRT 2018 (1) Page 186 Rajasthan High Court (Jaipur Bench) Balmat & Ors. Vs. State of Rajasthan को उद्वरित किया जाना उचित होगा जो इस प्रकार है कि ''राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 82 रेफरेन्स – राजस्व मण्डल ने रेफरेन्स स्वीकार किया तथा नामान्तरकरण अपास्त किया–विवादित भूमि राजस्व रेकॉर्ड में तालाब के रूप में दर्ज थी–डिक्री पारित होने के बाद भी कलेक्टर रेफरेन्स करने हेतु सक्षम है–नामान्तरकरण जब अवैध है, विलम्ब घातक नहीं है–निर्णीत, रेफरेन्स स्वीकार करने का आदेश यथावत् रखा।''

न्यायिक दृष्टान्त RRT 2023 (2) Page 1241 Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer Hukumaram Vs. Meera को उद्वरित किया जाना उचित होगा जो इस प्रकार है कि ''राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135–गोदनामा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तरकरण का आदेश एस.डी.ओ. ने अपास्त किया–अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने रिमाण्ड के आदेश को पुष्ट किया–ग्राम पंचायत ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान पर विचार नहीं किया और नामान्तरकरण खोलने के पूर्व अप्रार्थीया सं. 1 को नोटिस नहीं दिया आदेश को जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है, किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है–निर्णीत, आदेश में अवैधता नहीं है।''

उक्त दोनो न्यायिक दृष्टान्त का सद्‌भावनापूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट है कि जहां नामान्तरकरण अवैध है वहां विलम्ब घातक नहीं है, जो नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य है, किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। जबकि उक्त प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा केवल मात्र विलम्ब के प्रश्न पर ही अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया था। इस प्रकरण में भी व्यक्ति के जीवनकाल में ही विरासत का नामान्तरकरण पारित कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही अवैध था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 569 निर्णित दिनांक 17.11.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested

1986 को पारित करने में विधिक भूल करते हुए विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. का खारिज योग्य पाया जाता है तथा अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम एवं अपील अपीलान्ट्स स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का खारिज किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम एवं अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 569 निर्णीत दिनांक 17.11.1986 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मावली को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वाला पिता हरजी डांगी निवासी बेमाला मोतीखेडा एवं वाला पिता हरजी डांगी निवासी गुडली के वारिसान की जांच कर उक्त नामान्तरकरण में वर्णित आराजीयात का पुनः विरासत का नामान्तकरण 1 माह में पारित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:54 IST
Reason: SelfAttested